

(100 रुपए के स्टाम्प पेपर में मुद्रित कराए जाने के लिए)

यह करार राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी)

जिसका मुख्यालय

3ए एंड 3बी, पार्क प्लाजा, 71 पार्क स्ट्रीट कोलकाता है,

क्रियान्वयन एजेंसी होने के कारण, इसके पश्चात बोर्ड कहा गया है

और

मैसर्स जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है,

सहयोगी एजेंसी (सीए) होने के कारण

एनजेबी की पटसन एकीकृत विकास योजना, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है, के बीच किया गया है।

यह करार सीए द्वारा दिए गए वचन के अनुसार दिनांक से मार्च, 2017 तक अथवा दूसरी पार्टी को लिखित में एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय एनजेबी के आग्रह पर समाप्त किए जाने तक प्रचालनशील रहेगा। ऐसी समाप्ति होने पर सीए होनेजैसा भी मामला हो, अन्य बकाए के साथ सभी गैर-समायोजित दावे का निपटान करेगा। ऐसे मामले में सीए सभी अप्रयुक्त राशियों को लौटाने के लिए बाध्य होगा।

हमने इसकी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इन नियम तथा शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

.....
मुहर सहित सीए के प्रभारी के हस्ताक्षर
दिनांक:

.....
सचिव, एनजेबी के मुहर सहित हस्ताक्षर
दिनांक: